का॰ ज्ञा॰ सं॰ I/14013/01/2004-रा॰भा॰ (नी॰1), दिनांक 31.12.2004

विषय:— सरकारी कामकाज में ''अहिन्दी भाषी'' शब्दों के प्रयोग के स्थान पर ''अन्य भाषा-भाषी'' अथवा ''हिन्दी भाषी'' शब्दों का प्रयोग।

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि भारत सरकार के बहुत से मंत्रालय/विभाग आदि अपने नेमी कामकाज में उन राज्यों/व्यक्तियों के लिए, जिनकी राजभाषा/मातृभाषा हिन्दी नहीं है, 'अहिन्दी भाषी' शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 में कहीं पर भी 'अहिन्दी भाषी' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है।

2. हिन्दी संघ की राजभाषा है तथा देश की संपर्क भाषा है। अत: भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सरकारी कामकाज में तथा गृह-पत्रिकाओं आदि में **''अहिन्दी भाषी'' शब्दों के प्रयोग के स्थान पर ''अन्य भाषा-भाषी'' अथवा ''हिन्दीतर भाषी'' शब्दों का प्रयोग करें** तथा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि को भी तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करें।